

संक्षिप्त विज्ञापन

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा (वित्त विभाग) में सहायक संपरीक्षक पद पर भर्ती

- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अधीन स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार दिनांक **31.12.2012** तक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—
- स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में निम्नानुसार सहायक संपरीक्षक पदों की पूर्ति की जानी है :—
सभावित रिक्तियों की संख्या – **66**
वेतनमान – 5200–20200 +2400 ग्रेड वेतन

क	वर्ग	पद संख्या						कुल पद
		पुरुष			महिला			
		मुक्त	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	मुक्त	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	
1.	सामान्य (अना.)	17	02	02	08	0	0	29
2.	अनु. जाति	04	0	01	02	0	0	07
3.	अनु. जनजाति	13	02	0	06	0	0	21
4.	अ.पि.वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	07	0	0	02	0	0	09
	योग	41	4	3	18	0	0	66

सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 16.03.2012 अनुसार :- (टीप- नियुक्तियां मान. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी.(सी) 591/2012, याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) 592/2012, याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) 593/2012, याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) 594/20123 पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं मान. न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।)

- विस्तृत विज्ञापन कार्यालयीन वेबसाईट www.cg.gov.in में देखा जा सकता है। अन्य जानकारी कार्यालय, से प्राप्त की जा सकती है।
- विस्तृत विज्ञापन समाचार पत्रों एवं रोजगार नियोजन में प्रकाशित किया जा रहा है।

विस्तृत विज्ञापन
संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा (वित्त विभाग) में सहायक संपरीक्षक पद पर भर्ती

- (1) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अधीन स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार दिनांक **31.12.2012** तक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—
- (2) स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में सहायक संपरीक्षक के संभावित रिक्तियों की संख्या **66** है। वेतनमान **5200–20200 + 2400 ग्रेड वेतन** है। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार :-

क	वर्ग	पद संख्या						कुल पद
		पुरुष			महिला			
		मुक्त	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	मुक्त	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	
1.	सामान्य (अना.)	17	02	02	08	0	0	29
2.	अनु. जाति	04	0	01	02	0	0	07
3.	अनु. जनजाति	13	02	0	06	0	0	21
4.	अ.पि.वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	07	0	0	02	0	0	09
	योग	41	4	3	18	0	0	66

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 16.03.2012 अनुसार, की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी.(सी) 591/2012, याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) 592/2012, याचिका क्रमांक रिट पिटी.(सी) 593/2012, याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) 594/20123 पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पद की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- पद के समक्ष पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- विकलांग और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं उच्चस्तरीय छानबीन समिति से "जाति सत्यापन प्रमाण पत्र" की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

6. आयु की गणना हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में चस्पा किए गए स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो एवं संलग्न किए गए सहपत्र राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराना अनिवार्य है।
7. आवेदन पत्र के लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटोग्राफ, स्वयं का पता लिखा हुआ दो नग लिफाफा (साईज "9x4") जिसमें 5.00 रु. का पोस्टल टिकिट चस्पा हो संलग्न करना अनिवार्य है।
8. भर्ती प्रक्रिया/प्रतियोगी परीक्षा के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अर्थात् संचालक/आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।
9. आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यताएं, आयुसीमा संबंधी शर्तों के अंतर्गत पात्रता रखते हैं अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।
10. यदि आवेदक शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में है तो उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. यह विज्ञापन कार्यालयीन बेवसाईट www.lfa.cg.nic.in में देखा जा सकता है।

(3) शैक्षणिक योग्यता :- छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967 के नियम 8 की अनुसूची तीन में विहित शैक्षणिक अर्हता "कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक"।

- क. आयु** – दिनांक 01.01.2013 (चयन के प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को) 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।
- ख. आयु में छूट** – उच्चतर आयु सीमा में संबंधितों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी, जो कि अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) नियुक्ति हेतु चयन विधि – चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

- (1) **लिखित परीक्षा** :- संचालक/आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर द्वारा एक स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- (2) **परीक्षा केन्द्र** –क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव क्षेत्राधिकार स्थित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में परीक्षा केन्द्र एवं तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (3) **परीक्षा तिथि** :- परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र, परीक्षा तिथि एवं परीक्षा संबंधी निर्देश पृथक से प्रवेश पत्र के साथ सूचित किया जावेगा।

(5) चयन प्रक्रिया :-

वर्गवार रिक्तियों के अनुपात में परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को चयन हेतु चिन्हांकित किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम पद के विरुद्ध एक समान अंक अर्जित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967 के नियम 8 की अनुसूची तीन में विहित शैक्षणिक अर्हता "कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक" के प्राप्तांको को वरीयता दी जाएगी। इसमें भी समान अंक होने पर जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी एवं इसमें भी समान अंक होने पर पुनः परीक्षा लेने अथवा पद रिक्त रखने का निर्णय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लिया जाएगा।

(6) परीक्षा नियम:-

1. आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र एवं प्रवेश पत्र, स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा।
2. लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी विवरण निम्नानुसार है –
अ- सामान्य अध्ययन एवं गणित 100 अंक।
ब- हिन्दी 100 अंक।
परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित एवं हिन्दी विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जावेंगे। किसी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
3. उत्तर देने के लिए अलग से उत्तरशीट दी जाएगी। उत्तर भरने में सावधानी रखें, नियत खाने/स्थान में ए, बी, सी, डी, में से सही उत्तर बालपाइंट पेन से चिन्हांकित करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने पर उत्तर देने संबंधी निर्देश दिए जावेंगे। मूल्यांकन ओएमआर (ऑप्टिकल मार्कर रीडर) द्वारा किया जावेगा।
4. परीक्षा आयोजित करने के संबंध में अन्य कोई निर्णय संचालक/आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लिया जावेगा।
5. लिखित परीक्षा के लिये उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा तथा इसके लिये किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को जो कहीं सेवारत न हो एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलयर को छोड़कर) का आवेदक है, को छ.ग. शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व दिया जायेगा। जिसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा।

6. प्रतियोगी परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची :- छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967 के नियम 12 अनुसार -

1.(एक) संचालक/आयुक्त ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता क्रमसे व्यवस्थित सूची तैयार करेगा, जो ऐसे मानकों द्वारा चुने गए हों, जिन्हे शासन ने निर्धारित किया हो तथा जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य तो हों, किन्तु उस मानक के अनुसार अर्ह न हों, तथापि संचालक/आयुक्त ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उन्हें उपयुक्त घोषित किया हो।

(दो) सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए नियुक्ति समिति ऐसे उम्मीदवारों के, जिन्हे वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, सम्यक रूप से अधिमान क्रम में रखे गए नाम तथा अन्य ब्यौरे तथा अनुसूचित जातियों और जन जातियों के ऐसे उम्मीदवारों के नाम और अन्य ब्यौरे, जो यद्यपि उस स्तर के अनुसार अर्ह न हों, किन्तु जिन्हे समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को अग्रेषित करेंगे।

2. इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यक्ष, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिस क्रम से सूची में उनके नाम दिए गए हैं।

3. जब तक संचालक/आयुक्त का, उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली जांच-पड़ताल करने पर समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है तब तक केवल सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

(7) आवेदन पत्र नियत तिथि दिनांक 31.12.2012 तक कार्यालय आयुक्त, **स्थानीय निधि संपरीक्षा बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास, रायपुर (छ.ग.)** में कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक ही स्वीकार किए जावेंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ.बी.एस.अनंत)
आयुक्त
स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर

आवेदन पत्र

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा (वित्त विभाग) में सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदन पत्र केवल निम्नलिखित प्रारूप में ही होना चाहिये

प्रति,

आयुक्त,
स्थानीय निधि संपरीक्षा,
रायपुर (छ.ग.)

राजपत्रित
अधिकारी से
अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज का
फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) :
4. स्थाई पता :
5. राष्ट्रियता :
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाणपत्र संलग्न करें) शब्दों में : दिनांक माह वर्ष
7. आयु 01.01.2013 को : वर्ष माह दिन
8. जन्म स्थान : ग्राम..... तहसील..... जिला.....
राज्य.....
9. श्रेणी (कृपया संबंधित श्रेणी के सामने (√) का चिन्ह लगावें) : अनारक्षित अ.जा अ.ज.जा अ.पि.व.
10. शैक्षणिक अर्हता (पद के लिए न्यूनतम योग्यता से शुरू करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत	श्रेणी

11. अनुभव :-वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण(यदि है) :
- (अ) विवरण :
- (ब) वर्ष (अंकों में लिखें) :

12 छ.ग. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्र. व दिनांक

13. क्या आप विवाहित हैं (हां/नहीं) :
14. जीवित संतानों की संख्या (अंकों में) :
15. दो से अधिक संतान होने की दशा में क्या उनका जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ है, यदि हां तो तिथि : दिनांक माह वर्ष
16. संलग्नकों की सूची (चेक लिस्ट) :
- (कृपया समक्ष खाने में (✓) का चिन्ह लगावें एवं जो लागू न हो उसे रिक्त छोड़ा जावे)
1. पूर्ण रूप से पूर्ति किया गया आवेदन पत्र
 2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति
 3. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणिक छाया प्रति
 4. मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रमाणिक छाया प्रति
 5. रोजगार जीवित पंजीयन की छायाप्रति
 6. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
 7. हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री प्रमाण पत्र
 8. छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र
 9. अन्य प्रमाण पत्र

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाई जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना ही मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

स्थान

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक